प्रेस नोट दिनांक 10.05.2025

थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही जारी-

➡हत्या के अभियोग से संबंधित 03 वांछित अभियुक्त व 01 वांछित अभियुक्ता गिरफ्तार

➡थाना पट्टी पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र पट्टी के छोटी नहर पुलिया के पास से 03अभियुक्तों व 01 अभियुक्ता को उसके घर से किया गया गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 08-05-2025 को थाना पट्टी क्षेत्रांतर्गत ग्राम महोखरी में जमीन के विवाद को लेकर आरोपियों द्वारा वादी व वादी के पुत्र के साथ मारपीट कर वादी के पुत्र को गोली मारकर घायल कर देना। घायल की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। जिसके सम्बन्ध में वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना पट्टी पर मु0अ0सं0 135/25 धारा 3(5) / 103 (1) /109(1)/333/352/351(3) / 115 (2) बीएनएस बनाम नामजद 04 अभियुक्त व 01अभियुक्ता नाम अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित/ वारण्टी अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह एवं क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्यवेक्षण में थाना पट्टी प्रभारी निरीक्षक श्री आदित्य कुमार सिंह मय हमराह उ0नि0 श्याम सुन्दर गिरि, उ0नि0 शुभम सिंह, उ0नि0 श्रीप्रकाश राय, का0 पवन कुमार अवस्थी, का० प्रदीप मौर्या, चालक का0 अभिषेक यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र, विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना पट्टी के मु0अ0सं0 135/25 धारा 3(5) / 103 (1) /109(1)/333/352/351(3) / 115 (2) बीएनएस से संबंधित वाँछित 03 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता 01.रविंद्र कुमार दुबे पुत्र रामचंद्र दुबे, 02. अविनाश दुबे पुत्र रविंद्र कुमार, 03. अवतंस दुबे पुत्र रविंद्र कुमार दुबे निवासीगण ग्राम महोखरी थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ को आला कत्ल 01 अदद रिपीटर एसबीबीएल गन 12 बोर नं0 85925 व 02 अदद कारतूस 12 बोर जिन्दा मय लाइसेंस नं0 3184/थाना पट्टी व 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर व 02 अदद कारतूस जिन्दा 12 बोर व 03 अदद मोबाइल फोन मय वाहन सं0 UP72AS 5502 होन्डा कार के साथ थानाक्षेत्र पट्टी के छोटी नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया व 01 अभियुक्ता को थानाक्षेत्र पट्टी के उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तगणों के पास से बरामद लाइसेंसी शस्त्र .12 बोर व 01 तमन्चा .12 बोर व 02 कारतूस की बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25/27/30 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई।

गिरफ्तार अभियुक्तों/अभियुक्ता का विवरण-

01.रविंद्र कुमार दुबे पुत्र रामचंद्र दुबे निवासी ग्राम महोखरी थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

02. अविनाश दुबे पुत्र रविंद्र कुमार निवासी ग्राम महोखरी थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।
03. अवतंस दुबे पुत्र रविंद्र कुमार दुबे निवासी ग्राम महोखरी थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।
04. 01 अभियुक्ता।

बरामदगी-

1- घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल 01 अदद रिपीटर एसबीबीएल गन 12 बोर नं0 85925 व 02 अदद कारतूस 12 बोर जिन्दा मय लाइसेंस नं0 3184/थाना पट्टी।
2- 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर व 02 अदद कारतूस जिन्दा 12 बोर।
3- 03 अदद मोबाइल फोन।
4- होन्डा कार।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम-

प्रभारी निरीक्षक श्री आदित्य कुमार सिंह मय हमराह उ0नि0 श्याम सुन्दर गिरि, उ0नि0 शुभम सिंह, उ0नि0 श्रीप्रकाश राय, का0 पवन कुमार अवस्थी, का० प्रदीप मौर्या, चालक का0 अभिषेक यादव थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

थाना कंधई पुलिस द्वारा 01 तमंचा 315 बोर, 2 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 03 देशी सुतली बम के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

थाना कंधई पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम तिवारीपुर के बाग के पास से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण में थाना कंधई प्रभारी निरीक्षक श्री गुलाब सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 मिथिलेश चौरसिया मय हमराह उ0नि0 राजेश कुमार, हे0का0 राजेन्द्र प्रसाद, का0 साजन पटेल द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर दिनांक 10.05.2025 को 01 तमंचा 315 बोर, 2 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 03 देशी सुतली बम के साथ 01 अभियुक्त यार मोहम्मद पुत्र सरदार निवासी ग्राम मल्लूपुर थाना सिकरामऊ जनपद जौनपुर को थाना कंधई क्षेत्रान्तर्गत ग्राम तिवारीपुर के बाग के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त यार मोहम्मद उपरोक्त के कब्जे से बरामद 01 तमंचा 315 बोर, 2 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 03 देशी सुतली बम बरामद किया गया। उक्त बरामदगी के संबंध में थाना कंधई में मु0अ0सं0 99/25 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधि0 व 3/25 आयुध अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

यार मोहम्मद पुत्र सरदार निवासी ग्राम मल्लूपुर थाना सिकरामऊ जनपद जौनपुर।

बरामदगी-

01 तमंचा 315 बोर, 2 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 03 देशी सुतली बम बरामद किया गया।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 मिथिलेश चौरसिया मय हमराह उ0नि0 राजेश कुमार, हे0का0 राजेन्द्र प्रसाद, का0 साजन पटेल थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोहंडौर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोहंडौर के उ0नि0 सीताराम यादव मय हमराह का० मुकेश कुमार के द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, मुखबिर की सूचना पर मु0न0 8696 / 21 मु0अ0स0 23/15 धारा 3/10 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वारंटी श्याम सिंह उर्फ सुनील पुत्र नागेन्द्र बहादुर सिंह निवासी कसियाही थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़ को मकूनपुर नहर पटरी के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. श्याम सिंह उर्फ सुनील पुत्र नागेन्द्र बहादुर सिंह निवासी कसियाही थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

उ0नि0 सीताराम यादव मय हमराह का० मुकेश कुमार थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़।

शान्ति भंग के आरोप में कुल 03 व्यक्तियों के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस की कार्यवाही की गई

प्रतापगढ़।

दिनांक 09.05.2025 को थाना आसपुर देवसरा के उ0नि0 विजय कुमार मय हमराह उ0नि0 रियाजुद्दीन अहमद, का0 नरेन्द्र राम, का0 मोनू कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग/ शान्ति व्यवस्था ड्यूटी के दौरान सूचना मिलने पर ग्राम औंगापुर थाना आसपुर देवसरा पहुंचे। जहाँ पर जमीनी पैमाईश को लेकर राजस्व टीम के साथ, लड़ाई झगड़ा, वाद-विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। मौके पर शान्ति व्यवस्था भंग होने की प्रबल सम्भावना को देखते हुए 1 - शिवबहादुर पुत्र स्व0 शम्भूनाथ निषाद उम्र करीब 42 वर्ष 2- लालबहादुर पुत्र स्व0 शम्भूनाथ निषाद उम्र करीब 47 वर्ष 3- इन्द्रराज पुत्र स्व0 बलराम निषाद उम्र करीब 35 वर्ष निवासीगण औंगापुर थाना

आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़.के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1 - शिवबहादुर पुत्र स्व0 शम्भूनाथ निषाद उम्र करीब 42 वर्ष निवासी औंगापुर थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़

2- लालबहादुर पुत्र स्व0 शम्भूनाथ निषाद उम्र करीब 47 वर्ष निवासी औंगापुर थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़

3- इन्द्रराज पुत्र स्व0 बलराम निषाद उम्र करीब 35 वर्ष निवासी औंगापुर थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़